न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00071 RAAJodhpur2018-39RTA223 Dhannaram etc Vs Ratanaram etc

1. धनाराम पुत्र मानाराम जाति घांची, निवासी सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. पोलाराम पुत्र मानाराम जाति घांची, निवासी- सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ट्स**

ब

ना

म

1. रतनाराम पुत्र प्रभुराम
2. मोहनराम पुत्र प्रभूराम
3. दुर्गाराम पुत्र प्रभूराम के कायम मुकामः -
   - 3.1. सुवादेवी पत्नी स्व. दुर्गाराम
   - 3.2. झुमरलाल पुत्र स्व. दुर्गाराम
   - 3.3. घेंवरराम पुत्र स्व. दुर्गाराम
     सभी जातियान् घांची, निवासीगण- ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   - 3.4. कस्तुरी पत्नी धनाराम पुत्री स्व. दुर्गाराम जाति घांची, निवासी- पातो का बाड़ा, तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर।
   - 3.5. सायरी पत्नी आईदानराम पुत्री स्व. दुर्गाराम जाति, घांची, निवासी- ग्राम कल्याणपुरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
4. मोरकी पत्नी मिश्रीलाल
5. शंकरलाल पुत्र मिश्रीलाल
6. तुलछाराम पुत्र मिश्रीलाल
7. छगनलाल पुत्र मिश्रीलाल
   जातियान् घांची, निवासीगण- ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. स्व. पुरखाराम पुत्र देवाराम के कायम मुकामः -
   - 8.1. ताराचंद पुत्र स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज
   - 8.2. मेहराराम पुत्र स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज
   - 8.3. पारसराम पुत्र स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज
   - 8.4. रामेश्वर पुत्र स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज
   - 8.5. अशोक पुत्र स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

8.6. श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज
सभी जातियान् घांची, निवासीगण- ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

8.7. चम्पादेवी पुत्री स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज पत्नी लसीराम जी जाति- घांची, निवासी- गायत्री चौक, बालोतरा, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर।

8.8. पुष्पादेवी पुत्री स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज पत्नी जवानाराम जी जाति घांची, निवासी- रेबारियों का टांका, बालोतरा, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर।

8.9. अनितादेवी पुत्री स्व. पुरखाराम उर्फ पुखराज पत्नी गीगाराम जी, जाति घांची, निवासी- ग्राम घाणा, तहसील आहोर, जिला जालोर।

9. दोलाराम पुत्र भूराराम

10. भंवरलाल पुत्र भूराराम

11. बाबूलाल पुत्र भूराराम
सभी जातियान्- घांची, निवासीगण- ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

12. निम्बाराम पुत्र गोरधनराम के कायम मुकाम: -

12.1. कुकीदेवी पत्नी स्व. निम्बाराम

12.2. सुरेश पुत्र स्व. निम्बाराम

12.3. हुकमाराम पुत्र स्व. निम्बाराम

12.4. नारायण पुत्र स्व. निम्बाराम
सभी जातियान्- घांची, निवासीगण- ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

13. खीमाराम पुत्र गोरधनराम

14. केवलराम उर्फ केवलचंद पुत्र गोरधनराम
सभी जातियान् घांची, निवासीगण- ग्राम सतलाना, तहसील- लूणी, जिला जोधपुर।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2018 राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मूल वाद संख्या 221/2009 रतनाराम व अन्य बनाम धनाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री सिद्धार्थ.परिहार, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री सांगाराम, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01,02,04 से 07
श्री राजकुमार चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3/1 से 3/5
श्री रामप्रकाश लटियाल, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 8/1 से 8/9
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15

नि र्ण य

दिनांक : 20 फरवरी 2023

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 221/2009 अनवान रतनाराम व अन्य बनाम धनाराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 अप्रैल 2018 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से सात ने एक वाद खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 527/8 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 535/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 536/6 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं. 538/1 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 539/1+2 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 541 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 544/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 545/2 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 546/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 547/3 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

549/1 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 556 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 559 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 560 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 561/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 564 रकबा 6 बीघा एवं खसरा नं. 565 रकबा 1 बीघा ग्राम सतलाना तहसील लूणी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बिलकुल गैर कानूनी, गलत व मनमाने होने से निरस्त करने योग्य हैं। विचारण न्यायालय ने वादीगण का दावा महज कयासी दलीलो के आधार पर मनमाने ढंग से निर्णित करते हुए डिक्री जारी करने में भारी भूल की है, जबकि दावा हर सूरत में खारिज होने योग्य था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणत्मक वाद चलने योग्य ही नहीं था एवं न वादीगण को दावा पेश करने हेतु कोई वादकरण पैदा हुआ। वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किन्ही प्रावधानों के तहत कोई टेनेंसी अधिकार अर्जित ही नहीं हुए, इस कारण उनका घोषणात्मक वाद चलने योग्य ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की मंशा के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि न्यायालय ने कई पर भी अपना कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि वादी को किन प्रावधानों के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी अधिकारों का अर्जन हुआ हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो भी साक्ष्य एवं वादकथन किये गये उनके आधार पर भी प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में भी इस तरह की डिक्री जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि वादी दस्तावेजी एवं जबानी शहादत से यह कतई साबित नहीं कर सका कि उन्हें विवादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार अर्जित हुए है। विवादग्रस्त भूमि सर्वप्रथम स्व. मानाराम को अन्य लोगो के साथ आवंटित की गई थी। स्व. पुनमा का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध ही नही रहा। वादी द्वारा वाद पत्र मात्र वंश वृक्षावली पेश कर दिये जाने से वादीगण को कोई अधिकार मिलना नहीं माना जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से बिना वैध हस्तांतरण पत्र के खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण कर दिया है, जबकि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता है। स्वयं वादी को यह साबित करना था कि उसे भूमि में कोई टिनेंसी अधिकार अर्जित हुए है जो कतई साबित नहीं कर सका। अपीलाधीन आदेश कानून की नजर में कोई आदेश ही नहीं है, इस आदेश में न तो कोई कारण दर्शाये है एवं न ही किसी बिंदु पर कोई निष्कर्ष दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि दावे की सुनवाई का कोई नोटिस न तो प्रतिवादीगण के नाम जारी हुआ न उन्हे कोई नोटिस कभी मिला। अपीलार्थी को बिना सुने उनकी खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने के कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही थे। विचारण न्यायालय ने न केवल वादी के आधारहीन जबानी कथन के आधार मानकार अपीलाधीन डिक्री जारी की गई है, जबकि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण मूल खातेदार स्व. मानाराम के पुत्र है तथा उन्हें इस भूमि में मानाराम के फौत होने पर विरासत के अधिकार अर्जित हुए है एवं अपीलार्थीगण इस भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज है, जबकि वादीगण का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2018 को अपास्त व निरस्त किये जावे तथा वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01,02,04 से 07 ने अपनी लिखित बहस में अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर विधिवत तामील करवायी गई। तामील पूर्ण होने पर भी अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य शपथ-पत्र पी.डब्ल्यू.-1 रतनाराम का पेश किया तथा दस्तावेज प्रदर्श-1 वाद के साथ प्रस्तुत वंशवली, प्रदर्श-2 जमाबंदी संवतः 2048-2051, प्रदर्श-3 राजस्व मूल वाद संख्या 4040/1983 बअनवान मानाराम बनाम रतनाराम व अन्य आदेश दिनांक 13.12.1984, प्रदर्श-4 राजस्व मूल वाद संख्या 168/1994 अनवान मानाराम बनाम रतनाराम व अन्य आदेश दिनांक 22.06.1998, प्रदर्श-5 जमाबंदी संवतः 2060-2063 एवं प्रदर्श-6 ट्रेस नक्शा इत्यादि दस्तावेज प्रदर्श करवाये। वादग्रस्त आराजी पर स्व. पूनमजी के वारिसान् का ही कब्जा काश्त है। मानाराम द्वारा प्रस्तुत फौजदारी मुकदमे में गॉव के व्याक्तियों द्वारा दिये गये बयानों के मुताबिक भी वादग्रस्त आराजी पर स्व. पूनमजी के वारिसान् प्रभूराम, गोरधनराम एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पांची देवी प्रत्येक का 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त बताया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 227 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 99 के तहत यह स्पष्ट है कि गलती या अनियमितता के कारण किसी डिक्री या आदेश को उल्टा न जाना या उपांतरित न किया जाना- पक्षकारों या वाद हेतुको के कुसंयोजन के कारण या कार्यवाहियों में किंही गलतियों, अनियमितताओं के जो मामले गुणावगुण पर प्रभाव न डालती हो, कारण किसी डिक्री या आदेश को उल्टा नहीं जायेगा, न उसमें सारभूत रूप से कोई फेरफार किया जायेगा, न अपील में किसी मामले को प्रतिप्रेषित किया जायेगा। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि अपील किस आधार पर खारिज फरमायी जावे। अत लिखित बहस स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन तामीली रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट धनाराम को भेजे गये सम्मन पर दो मौतबिरानों के हस्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है तथा अपीलांट पोलाराम के सम्मन जोधपुर में निवास करने की रिपोर्ट के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पुनः विचारण न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों के तहत अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाया जाना नहीं पाया जाता हैं।

अपीलांट धन्नाराम को मामले की जानकारी होने पर जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मिसल तलबी, प्रार्थना पत्र बाबत आवश्यक सुनवाई एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किये गये, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा न तो आदेशिका पर लिया गया तथा न ही इन प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई सुनवाई किया जाना पाया जाता है। प्रार्थना पत्रों पर उपलब्ध रिपोर्ट मुताबिक वकील वादी द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्रों की प्रति लेने से इंकार किया जाना पाया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2048-2057 ग्राम सतलाना तहसील जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात् सहित अन्य भूमियॉ के अपीलांट्स के पिता मानाराम वल्द देवाराम कौम घांची सहित अन्य पक्षकारान् को आवंटित होना पाया जाता है जो उक्त खातेदारान् के मध्य बंटवाड़ा होने से वादग्रस्त आराजीयात् स्व. मानाराम के हिस्से में रखी गई। जमांबंदी संवतः 2052-2055 ग्राम सतलाना के मुताबिक मानाराम की फौतेदगी पर पर वादग्रस्त आराजीयात् नामांतरकरण संख्या 1124 के जरिये अपीलांट्स के नाम दर्ज किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली पर उपलब्ध दावा संख्या 4040/1983 बअनवान मानाराम बनाम रतनाराम व अन्य तथा उसमें पारित आदेश दिनांक 13.12.1984, राजस्व मूल वाद संख्या 168/1994 अनवान मानाराम बनाम रतनाराम व अन्य तथा उसमें पारित आदेश दिनांक 22.06.1998 के अवलोकन मुताबिक उक्त दावों के वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं होने के कथन किये गये है तथा उक्त दावे गुणावगुण पर निस्तारित न होकर वकील वादी द्वारा नो-इन्सट्रक्शन प्लीड किये जाने एवं जरिये अबेटमेंट खारिज होना पाये जाते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी पूर्णतया पुश्तैनी होना साबित नहीं होने से धारा 227 आर.टी.एक्ट एवं धारा 99 सीपीसी हस्तगत मामले पर लागू नहीं होते है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में अपीलांट्स पर विधिनुसार सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना, मामले में वादग्रस्त आराजीयात के पुश्तैनी होने के संबंध में तनकीयात कायम किये बिना तथा साक्ष्य सबूत लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के भूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परितस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 221/2009 अनवान रतनाराम व अन्य बनाम धनाराम इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाब दावे के आधार पर मामले में तनकियात कायम करे, जिसमें वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के संबंध में विशेष तनकी कायम करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का का समुचित प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.2.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर